

डा0 अजीज कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं
कुलाधिपति, कुमाऊँ
विश्वविद्यालय नैनीताल।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 3049 / जी0एस0 / C3-7 / शिक्षा / 2012
देहरादून दिनांक 24 नवम्बर, 2012

आदेश


मैं, डा0 अजीज कुरैशी, कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रो0 राकेश भटनागर, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

डा0 अजीज कुरैशी
कुलाधिपति।

संख्या 3049 (1) / जी0एस0 / C3-7 / शिक्षा / 2012 दिनांक : 24 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. प्रो0 राकेश भटनागर, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. कुलपति, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
8. कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
9. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।


(अशोक)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।